न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1414/विधि सहरसा, दिनांक 16-5-2023

प्रतिलिपि :- (1) जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-35/2020 में दिनांक-08.05.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-13/2019 से संबंधित अभिलेख-(आदेश फलक क्र0-01 से 08 तक प्राप्त प्रस्ताव, पत्र, हाजिरी एवं अन्य कागजात क्र0-09 से 125 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती ममता कुमारी, पति-अजय मेहता / श्रीमती नीतू कुमारी, पति-दीपक कुमार, दोनों सा0-श्याम, वार्ड नं0-13, पंचायत-पीरनगर, प्रखंड-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

के पद से चयनमुक्त किये जाने संबंधी आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हुए इनके अपील आवेदन को खारिज किया गया है।

दिनांक 20.04.2023 को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। निम्न न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-272 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है, जो आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी

बी १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..............................से..............................तक

जिला..............................., सं0..............................., सन् १९...............................

केस का प्रकार...............................

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
08/05/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-35/2020 ममता कुमारी ....पुनरीक्षणकर्त्ता **-बनाम-** राज्य एवं अन्य...................................रेसपॉण्डेन्ट **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद ममता कुमारी, पति-अजय मेहता, सा0-श्याम, वार्ड नं0-13, पंचायत-पीरनगर, प्रखंड-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी वाद सं0-13/2019 ममता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.06.2020 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी वाद सं0-49/2018 में पारित वादी को सेविका के पद से चयनमुक्त किये जाने संबंधी आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हुए इनके अपील आवेदन को खारिज किया गया है। दिनांक 20.04.2023 को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। निम्न न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-272 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है, जो आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी	

Ram

मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

8/5/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

8/5

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।